रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226075
CG-DL-E-24032021-226075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943
No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

IndiaCode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11-पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उसकी उप-धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है ; नामतः -

1.इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021 है I

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे I

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में:-

I. कार्यकारी निदेशक के पद के लिए योग्यता सम्बन्धी विनियम 6 में, उप-विनियम (4) के उप-खंड (ख) की अनुसूची में, स्तम्भ 3 की पंक्ति संख्या 2 में , मौजूदा शैक्षिक अर्हता आवश्यकताओं को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"शैक्षिक अर्हता :

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वित्त विषय में एमबीए/एमएमएस /सीएस/सीएफए/सीडब्ल्यूए/एलएलबी/ अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य अनुशासन में स्नातकोत्तर उपाधि, जो प्राधिकरण की राय में उपयोगी है, के साथ पेंशन/बीमा/वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दों से निपटने में योग्यता या विधि, निरीक्षण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखा, प्रशासन या किसी अन्य उपयोगी अनुशासन के विशेष ज्ञान/अनुभव, जो प्राधिकरण की राय में उपयोगी हो, के साथ न्यूनतम 20 वर्षों का पद योग्यता अनुभव हो ।"

सुप्रतिम बन्दोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./552/2020-21]

पादलेख:

1. मूल विनियम ,पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 भारत के भारत के राजपत्र में 14 मई2015 को, सं/12/पीएफआरडीए.आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा)(प्रथम संशोधन) विनियम 2018,भारत के राजपत्र में 31 अक्टूबर 2018 को, सं/12/पीएफआरडीए.आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा)(संशोधन) विनियम 2020 भारत के राजपत्र में 28 अप्रैल 2020 को, सं/12/पीएफआरडीए.आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

IndiaCode

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EMPLOYEES' SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/11– In exercise of the powers conferred by sub – section (2) of section 11 read with sub – clause (b) of sub – section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015, namely,: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2021.
2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015:-

I. In the schedule under clause (b) of sub-regulation 4 of Regulation 6, in column 3 of row 2 [under heading-Age, Qualification & Experience for Direct recruits], for qualification for Executive Director, the existing educational qualification and experience shall be substituted as follows:

Qualification:

"MBA/MMS with specialisation in Finance / CA / CS / CFA / CWA / LLB / Post Graduation in Economics, Finance or any other discipline which in the opinion of the Authority is useful, from a recognised University / Institution with a minimum of 20 years of post-qualification experience in dealing with issues relating to Pension / Insurance / Financial Sector or special knowledge / experience of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Administration or any other discipline considered useful to the Authority".

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT- III /4 / Exty./552/2020-21]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14th May, 2015 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 31st October, 2018 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 28th April, 2020 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.24 22:13:27 +05'30'